HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 8885/2026
CNR: RJHC020532322026 | URN: CRLMB / 16307U / 2026

Rahul Verma S/o Arjunlal, Aged About 23 Years, R/o Dhalyawas, Police Station Jajod, District Sikar. (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail Neem Ka Thana).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Suresh Kumar Dhenwal
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

10/09/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– जाजोद, जिला– सीकर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 158/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 109(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। उनका यह तर्क है कि प्रकरण में मुख्य अभियुक्त प्रकाश सैनी की जमानत याचिका समकक्ष पीठ द्वारा आदेश दिनांक 25.08.2026 के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में इस प्रकार का कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने आहत पर गोलियां चलाई हों। आग्नेयास्त्र (रिवाल्वर) अन्य सहअभियुक्तगण से बरामद हुए है। प्रार्थी/अभियुक्त से तीन कारतूस बरामद होना अवश्य बताया गया हैं, परंतु प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में आहत ने भी अपने बयानों में विशिष्टतः यह कथन नहीं किए हैं कि आहत के ऊपर प्रार्थी/अभियुक्त ने

फायर किए हों। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त की लंबी अभिरक्षा की अवधि व मुख्य सहअभियुक्त की जमानत याचिका समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है इत्यादि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई आग्नेयास्त्र की बरामदगी नहीं हुई अपितु कारतूस बरामद हुए हैं। अन्य सहअभियुक्तगण जिनसे आग्नेयास्त्र बरामद होना बताया गया है उनमें से एक सहअभियुक्त प्रकाश सैनी की जमानत याचिका समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में आदेश दिनांक 25.08.2026 के माध्यम से स्वीकार की जा चुकी है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **राहुल वर्मा पुत्र अर्जुनलाल** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

33/RAMESHWAR PRASHAD